



कार्यालय सहायक अभियन्ता-प्रथम

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, शामली
Office of the Assistant Engineer-1, Provincial Division, P.W.D., Shamli, Uttar Pradesh
E-mail:- pdpwshamli@gmail.com



पत्रांक 217/1/सी
सेवा में,

दिनांक 16/06/2023

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
सैन्योआरओसी, सार्वजनिक कॉन्वेंट स्कूल
पानीपत रोड, कैराना
उत्तर प्रदेश, शामली

विषय- पानीपत रोड, कैराना उत्तर प्रदेश, शामली में सैन्योआरओसी, सार्वजनिक कॉन्वेंट स्कूल की नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार गुणवत्ता एवं शैक्षिक सत्यापन के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ- उपरोक्त कार्यालय का पत्रांक 209/1/सी दिनांक 06.06.2023 एवं आपका पत्रांक दिनांक 16.06.2023

उपरोक्त विषयक आपके सम्बन्धित पत्र के क्रम में आपको इस कार्यालय के सम्बन्धित पत्र द्वारा स्कूल का नक्शा एवं ANNEX सम्बन्धित प्रचलन शर्तों के अन्तर्गत प्रेषित करने हेतु निर्दिष्ट किया गया था, जिसके क्रम में आपके द्वारा दिनांक 16.06.2023 को उपरोक्त कार्यालय के पत्रों के आधार पर अधीनस्थों द्वारा उक्त स्कूल का निरीक्षण किया गया, जिसका नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार Building Safety Certificate संलग्न किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में भवन सुरक्षित प्रतीत होता है। सुरक्षा मानकों का नैर अनुपालन, भवन का विस्तार/कच्चा, बदलवा कार्य आदि करना नियमों की अवहेलना होगी तथा वेदता स्वयं समान होगी। सुरक्षा मानकों का अनुपालन, भवन का नियमित अनुसंधान अनिवार्य है।
नोट- प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष है।

संलग्नक- Building Safety Certificate

सहायक अभियन्ता-प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
शामली

APPENDIX-XI

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated

Certified that the existing building St. R.C. Scientific Convent School at Panipat Road, Kairana Distt. Shamli comprised of double storey building owned/occupied by R.C. Scientific Convent School have complied with the building safety requirements in accordance with National Building Code Rules, and verified by the officers concerned of Provincial Division, Public Works Department, Shamli (Uttar Pradesh) on Dated 16.06.2023 in the presence of manager Sh. Arvind Goyal, Mandi, Gandhi Gan] Shamli and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII with effect from 16.06.2023 for a period of three years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended. Prima facie the construction of building seems to be as per norms of National Building Code rules but in case the building is not found in conformity of detailed National Building Code rules the Public Works Department shall not be held accountable.

Issued on 16.06.2023 at 02:00 PM by Deependra Jaiswal Assistant Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Shamli.

(Deependra Jaiswal)
Assistant Engineer
Provincial Division, P.W.D.
Shamli